रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 1994/चैत्र 22, 1916
No. 60] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1994/CHAITRA 22, 1916

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

बम्बई, 7 अप्रैल, 1994

सं. 3/5/94/रूई/4(1)2:—रूई (काटन) नियंत्रण आदेश 1986 के खण्ड 4(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्-द्वारा नदेश देता हूं कि कोई भी विनिर्माता स्वयं द्वारा धारित या उसके लिए किसी अन्य द्वारा धारित तकुओं पर उपभोग के लिए अपेक्षित भारतीय कपास की मात्रा, जिसमें कि उसके तीन माह के औसत उपभोग के अतिरिक्त बकाया संविदाओं के लिए वितरण की जाने वाली मात्राएं भी शामिल है किसी भी समय अपने स्वामित्व में नहीं रख सकेगा ।

उपरोक्त सीमा निम्नोक्त छूटों के अध्यधीन है:—

(1) विनिर्माता जिन्हें रक्षा के आर्डर पूरे करने हैं उनके मामले में वस्त्र आयुक्त उनके द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के आधार पर ऐसे विनिर्माता को संविदा पूरी करने के लिए उपरोक्त सीमा के अतिरिक्त अपेक्षित मात्रा के लिए अनुमति दे सकते हैं ।

(2) विनिर्माता जिसने 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में अपने पैक किए गए उत्पादन का आंशिक या पूरा निर्यात किया है, उनके मामले में वस्त्र आयुक्त इस कारण पर उन्हें किए गए आवेदन पत्र जिसके साथ आवश्यक कागजात हो, के आधार पर ऐसे विनिर्माता को नीचे निर्दिष्ट सीमाओं तक भारतीय रूई रखने की अनुमति दे सकते है ।

(क) विनिर्माता जिसने 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में अपने पैक किए गए उत्पादन का दस प्रतिशत तक निर्यात किया है ।	ऊपर विनिर्दिष्ट लागू स्टाक सीमाओं के अतिरिक्त आधे माह के औसत उपभोग की मात्रा के बराबर ।
(ख) विनिर्माता जिसने 31 दिसम्बर के प्रारंभ में अपने पैक किए गए उत्पादन के दस प्रतिशत से अधिक परन्तु 25 प्रतिशत तक ।	उपर विनिर्दिष्ट लागू स्टाक सीमाओं के अतिरिक्त एक माह के औसत उपभोग की मात्रा के बराबर ।
(ग) विनिर्माता जिसने 31 दिसम्बर के प्रारंभ में अपने पैक किए गए उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक निर्यात किया है ।	उपर विनिर्दिष्ट लागू स्टॉक सीमाओं के अतिरिक्त डेढ़ (1½) माह के औसत उपभोग की मात्रा के बराबर ।

(3) जो विनिर्माता पूर्ण या मुख्य रूप से विदेशी कपास का प्रयोग करता आया हो, वस्त्र आयुक्त को किए गए आवेदन पत्र पर उनके द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्टानुसार भारतीय कपास की मात्रा अपने स्वामित्व में वह रख सकते है ।

(4) मिलें जो बंद थी तथा जो या तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम अथवा प्राईवेट पार्टी द्वारा वर्तमान में पुनः शुरू की जा चुकी है उनके मामलों में वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा ।

3. इस बात पर ध्यान दें कि:—

(1) औसत मालिक उपभाग विनिर्माता द्वारा, 31 अगस्त को समाप्त होने वाले रूई वर्ष के प्रारंभ में वस्त्र आयुक्त महोदय को प्रपत्र सी. एस. टी. एच. (एम. ओ. 2 संशोधित) में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर परिगणन (कम्प्यूटर) किया जाएगा ।

(2) औसत उपभाग का परिगणन हड़ताल के समय को छोड़कर कपास वर्ष के प्रारंभिक काल में पूर्ण काम के माहों के आधार पर होगा

4. आगे, उपरोक्त आदेश के खण्ड 4(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि कोई भी विनिर्माता ऐसी रूई का उसका स्टाक जब तक की उपरोक्त विहित सीमा से कम नहीं होता हो तब तक भारतीय रूई नहीं खरीदेगा ।

5. मिलें जिनके पास इस अधिसूचना के भारतीय राजपत्र में प्रतिशत होने की तारीख को भारतीय रूई का स्टाक उपरोक्त सीमाओं से अतिरिक्त है वे ब्यौरे 15 दिन के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा पावती के साथ वस्त्र आयुक्त को ऐसी मिलों पर जब तक ऐसी अतिरिक्त स्टाक अभी विहित सीमाओं से नीचे नहीं होता तब तक भारतीय रूई की अतिरिक्त मात्रा की खरीद पर रोक लगाई है बैंकों के अलावा मिलों की ओर से भारतीय कपास की मात्रा धारण करने वाले डीलरों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संतुष्टि करें कि रूई का ऐसा स्टाक संबंधित मिलों के लिए विहित सीमाओं के भीतर है ।

6. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

के० राजेन्द्रन नायर, वस्त्र आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Textile Commissioner)

NOTIFICATION

Bombay, the 7th April, 1994

No. 3|5|94|Cotton|4(1)|2.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 4(1) of the Cotton Control Order, 1986, I hereby direct that no manufacturer shall have at any time in his possession, a quantity of Indian Cotton required for consumption on his own spindles whether held by himself or held on his behalf by any other person and including quantities to be delivered against outstanding contracts, in excess of his three months' average consumption.

The above limit shall be subject to the following exemptions :—

(i) In the case of a manufacturer who is required to execute orders for defence purposes, the Textile Commissioner may, on an application made to him in this behalf, permit such a manufacturer to keep stocks of Indian Cotton, in excess of the above limit to the extent of requirement of cotton for executing the contract.

(ii) In the case of a manufacturer who has exported in the preceding calendar year ending on 31st December, a part or whole of his packed production, the Textile Commissioner may, on an application made to him in this behalf accompanied by necessary particulars, permit such a manufacturer to keep Indian Cotton upto the limits indicated below:—

(a) Manufacturer who has exported upto and including 10 per cent of his packed production in the preceding calendar year ending on 31st December.

Quantity equivalent to half a month's average consumption over and above the applicable stock limit specified above.

(b) Manufacturer who has exported more than 10 per cent upto and including 25 per cent of his packed production in the preceding calendar year ending on 31st December.

Quantity equivalent to one month's average consumption over and above the applicable stock limit specified above.

(c) Manufacturer who has exported more than 25 per cent of his packed production in the preceding year ending on 31st December.

Quantity equivalent to one and a half months' average consumption over and above the applicable stock limit specified above.

(iii) The quantity of Indian Cotton which can be held in the possession of a manufacturer who has been using wholly or mainly foreign cotton, shall be as specified by the Textile Commissioner from time to time on an application made to him by the said manufacturer in this behalf.

(iv) The cases of mills which were closed and have been restarted recently either by the National Textile Corporation or private parties will be considered on merit on submission of application to the Textile Commissioner.

3. It should be noted that :—

(i) The average monthly consumption will be computed on the basis of the figures reported by the manufacturer to the Textile Commissioner in Form CST-H (MO 2 revised) for the preceding cotton year ending on 31st August.

(ii) The average consumption will be computed on the basis of full working months during the preceding cotton year without taking into consideration the strike period, if any.

4. Further in exercise of the powers conferred on me by Clause 4 (1) of the above said Order, I direct that no manufacturer shall purchase Indian cotton unless his stock of such cotton at any time comes down below the limit prescribed above.

5. Mills which have Indian Cotton stocks on the date of publication of this notification in the Official Gazette. in excess of the above limits are required to send details within fifteen days to the Textile Commissioner by Registered Post with acknowledgement due. Such mills are prohibited from buying any further quantity of Indian Cotton till such excess position is corrected to a level below the limits now prescribed. Dealers other than banks holding quantities of Indian cotton on behalf of the mills are advised to satisfy themselves that such stocks of cotton are within the limits prescribed for the mills concerned.

6. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

K. RAJENDRAN NAIR,
Textile Commissioner

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994